कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील / RTI / 34 / 2024

श्री ताराचन्द शर्मा एडवोकेट रूपवास मो0 नं0 9414655380

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश   दिनांक 19.07.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री ताराचन्द शर्मा एडवोकेट रूपवास की अपील विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर के इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट / 24 / 474 दिनांक 08.07.2024 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने / नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर के पत्रांक जि.अभि. / 2024 / 62 दिनांक 11.7.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक जि.अभि. / 2024 / 61 दिनांक 11.7.2024 से प्रार्थी / अपीलार्थी को लिखा जाकर प्रतिलिपि कार्यालय हाजा को भी प्रेषित की गई है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को लिखा गया है कि:—

2.....

जिला कलक्टर
भरतपुर

आरटीआई/अपील/34/2024
ताराचन्द शर्मा बनाम लो.सू.अधि. प्र.अधि० जिला अभि० कलै० भरतपुर

....."आपके द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 14.05.2024 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपपंजीयक कार्यालय उच्चैन में पंजीकृत दस्तावेज क्र.सं. 958 दिनांक 18.01.2011 की रिलीजडीड एवं अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर की प्रमाणित प्रतियां चाही गई हैं। उक्त चाही गई प्रमाणित प्रतियों के संदर्भ में आप प्रत्येक पंजीकृत दस्तावेज हेतु एक सौ रूपये का गैर न्यायिक स्टाम्प मय नियमानुसार नकल शुल्क राजकोष में जमा करवाकर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर इस कार्यालय में जमा करावें ताकि वांछित सूचना की प्रमाणित प्रतियॉ आपको उपलब्ध कराई जा सकें।"

उक्तानुसार प्राप्त जवाव से ज्ञात होता है कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार नकल/सूचना प्राप्त करने के सन्दर्भ में सूचित किया जा चुका है। प्रार्थी/अपीलार्थी नियमानुसार न्यायायिक स्टाम्प एवं नकल शुल्क राजकोष में जमा कर जिला अभिलेखागार कलै० भरतपुर से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै० भरतपुर को भी प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर